

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

संख्या- 38791

गोमती नगर मुन्ना आवास/2022
कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 16-8-22

एतद्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से बोर्ड के नये आर्थिक स्रोतों के सृजन तथा प्रदेश सरकार के सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल 'निवेश मित्र' के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रख्यापित नियमावली क्रमशः निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्राधिकार, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 के अंतर्गत डीलर्स के पंजीकरण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण/ पुनर्चक्रण/ उपचार और निपटान के लिए प्राधिकार/ रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये प्राधिकृत अधिकारी एवं प्रक्रिया शुल्क निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं :-

1. The Solid Waste Management Rules, 2016

क्र० सं०	संस्था का नाम	प्राधिकार की अधिकतम् अवधि	प्रक्रिया शुल्क प्रति वर्ष	प्राधिकृत अधिकारी
1	नगर निगम द्वारा स्वयं अथवा पी०पी०पी० मॉडल में स्थापित ठोस अपशिष्ट व्यवस्था	05 वर्ष	रु० एक लाख	सदस्य सचिव
2	नगर पालिका/छावनी परिषद द्वारा स्वयं अथवा पी०पी०पी० मॉडल में स्थापित ठोस अपशिष्ट व्यवस्था	05 वर्ष	रु० पचास हजार	मुख्य पर्यावरण अधिकारी
3	नगर पंचायत द्वारा स्वयं अथवा पी०पी०पी० मॉडल में स्थापित ठोस अपशिष्ट व्यवस्था	05 वर्ष	रु० पच्चीस हजार	क्षेत्रीय अधिकारी

2- The Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016

क्र० सं०	संस्था का नाम	प्राधिकार की अधिकतम् अवधि	प्रक्रिया शुल्क प्रति वर्ष	प्राधिकृत अधिकारी
1	नगर निगम द्वारा स्वयं अथवा पी०पी०पी० मॉडल में स्थापित सी०एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था	05 वर्ष	रु० एक लाख	सदस्य सचिव
2	नगर पालिका/छावनी परिषद द्वारा स्वयं अथवा पी०पी०पी० मॉडल में स्थापित सी०एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था	05 वर्ष	रु० पचास हजार	मुख्य पर्यावरण अधिकारी
3	नगर पंचायत द्वारा स्वयं अथवा पी०पी०पी० मॉडल में स्थापित सी०एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट व्यवस्था	05 वर्ष	रु० पच्चीस हजार	क्षेत्रीय अधिकारी

3- The Batteries (Management And Handling) Rules, 2001

क्र० सं०	संस्था का नाम	प्राधिकार की अधिकतम् अवधि	प्रक्रिया शुल्क प्रति वर्ष	प्राधिकृत अधिकारी
1	बैटरी डीलर्स के रजिस्ट्रेशन	05 वर्ष	रु० दस हजार	क्षेत्रीय अधिकारी

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

ह/ (अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

पू०सं० एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
2. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईयों के नियंत्रक अधिकारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।
3. गार्ड फाइल।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशा०)